

॥
बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

आदेश

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के आदेश ज्ञापांक-2888 दिनांक- 18.06.2018 के आलोक में निलम्बन से मुक्ति के उपरान्त श्री जय प्रकाश मौर्य, आपूर्ति निरीक्षक का विभाग में योगदान की तिथि 19.06.2018 के पूर्वाहन से योगदान स्वीकृत करते हुए कॉलम-05 में अंकित प्रखंड/स्थान/जिला में अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है :-

क्र०	आपूर्ति निरीक्षक का नाम	गृह जिला	योगदान स्वीकृति की तिथि	पदस्थापित स्थान/प्रखंड/जिला का नाम
1	2	3	4	5
1.	जय प्रकाश मौर्य, आपूर्ति निरीक्षक, निलम्बन से मुक्त	उत्तर प्रदेश	दिनांक- 19.06.2018 (पूर्वाहन)	औराई, मुजफ्फरपुर

2. उपर्युक्त आपूर्ति निरीक्षक पदस्थापित स्थान पर अविलंब योगदान करना सुनिश्चित करेंगे ।

3. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है ।

(भरत कुमार दुबे)

सरकार के संयुक्त सचिव ।

ज्ञापांक- प्र03-स्था0-07/2018 -4258

खाद्य, पटना/दिनांक-31.08.18

प्रतिलिपि- प्रमंडलीय आयुक्त, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर/जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर, /जिला आपूर्ति पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर/संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/संबंधित आपूर्ति निरीक्षक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित

सरकार के संयुक्त सचिव ।

ज्ञापांक- प्र03-स्था0-07/2018 4258

खाद्य, पटना/दिनांक-31.08.18

प्रतिलिपि- माननीय मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार के आप्त सचिव/सचिव कांभाग/प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा- 08/आई0टी0 मैनेजर, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के संयुक्त सचिव ।